ACCOUNTANT (FCRA)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No.A/12018/01/2010-Ad.-V]
ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 227.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती (संशोधन) नियम 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लेखाकार [विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, प्रभाग, गृह मंत्रालय] भर्ती नियम, 1984 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन-सह-ज्येष्ठता, योग्यता द्वारा चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखाकार (विदेशी अभिदाय विनियम अधिनियम)	6* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. तथा 4200 रु. ग्रेड पे	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने पे बैंड 2 में, 5200-20200 में 2800 रु. ग्रेड पे सहित अथवा समतुल्य पे बैंड और ग्रेड पे वाले पदों पर छ: वर्ष नियमित सेवा की है; अथवा (iii) जिन्होंने पी.बी.-1, 5200-20200 रु. में 2400 रु. ग्रेड-पे सहित अथवा समतुल्य पे-बैंड और ग्रेड-पे वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिन्हें रोकड़ तथा लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है, अथवा जिन्होंने केन्द्र सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए/12018/01/2010-प्रशा.-V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2010

G.S.R. 227.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Accountant [Foreign Contribution (Regulation) Act, Division, Ministry of Home Affairs] Recruitment Rules, 1984, namely :—

3250 HA/11-2

(1) These rules may be called the Accountant [Foreign Contribution (Regulation) Act, Division, Ministry of Home Affairs] Recruitment (Amendments) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Accountant [Foreign Contribution (Regulation) Act, Division, Ministry of Home Affairs] Recruitment Rules, 1984, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether Selection-cum Seniority or selection by merit or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension Rules, 1972).	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Accountant (Foreign Contribution Regulatory Act)	6* (2010) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	PB-2, Rs. 9300-34800 with the Grade Pay of Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, the Grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made
(11)	(12)
By Deputation	Deputation Officers under Central Government : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis ; or (ii) With six years regular service in posts in PB-1, Rs. 5200-20200 with the Grade Pay of Rs 2800 or equivalent; or (iii) With ten years regular service in posts in PB-1, Rs. 5200-20200 with the Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess three year experience of handling cash and accounts work.

	(12)
	OR A pass in the sub-ordinate Accounts service or equivalent examination conducted by any of the organized Accounts departments of the Central Government.. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/ organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[File No.A/12018/01/2010-Ad.-V]
ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 228.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय (रोकड़िया) भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय (रोकड़िया) भर्ती (संशोधन) नियम 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. गृह मंत्रालय (रोकड़िया) भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रोकड़िया	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	पे बैंड-2, 9300-34800 रु. 4200 रु. ग्रेड पे. के साथ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता